

फार्म/FORM 8

**संघ शासित सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1984 के अधीन लाभ के लिए नामांकन
Nomination for benefits under the Union Territory Govt. Employees GROUP INSURANCE Scheme,
1984.**

यदि सरकारी कर्मचारी का परिवार है तथा एक या एक से अधिक सदस्यों को नामित करना चाहता हो ।
When the Govt. servant has a family and wishes to nominate one member or more than one member thereof .

मैं एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति(यों) को नामित करता हूँ, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं तथा संघ शासित प्रदेश कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1984 के अधीन संघ शासित सरकार/प्रशासन द्वारा मेरे सेवा काल में मृत्यु या सेवानिवृत्ति की आयु के समय देय था लेकिन अदायगी नहीं की गयी थी, को निम्न उल्लेखानुसार प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ ।

I hereby nominate the person(s) mentioned below, who is/are and members of my family and confer on him/them the right to receive to the extent specified below any amount that may be sanctioned by the Union Territory Govt/Administration under the Union Territory Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1984 in the event of my death while in service or which having become payable on my attaining the age of superannuation may remain unpaid at my death.

नामनिर्दिष्ट का नाम व पता Name and Addresses of Nominee/nominees	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with Govt. servant	आयु Age	प्रत्येक को भुगतान करने का अंश Share amount to be paid to each	वे *आकास्मिक घटनाएं जिससे यह नामन अमान्य हो जाएगा Contingencies* on the happening or which the nomination shall become invalid	यदि नामित व्यक्ति सरकारी कर्मचारी से पहले मर जाए तो उसके बाद यह अधिकार पाने वाले व्यक्ति यदि कोई हो तो उसका नाम पता और अधिकारी के साथ संबंध Name, Address & relationship of the person, if any to whom the right of the nominee shall pass in event of his/her predeceasing the Govt. servant.
1	2	3	4	5	6

दिनांक/Dated this..... day of माह 200..... को at पोर्ट ब्लेयर/Port Blair

साक्षी के हस्ताक्षर

Signature of two witnessess :-

1.

2.

सरकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर
Signature of Govt. servant.

नोट: सरकारी कर्मचारी नीचे के रिक्त स्थान में आर-पार रेखा खींच ले ताकि हस्ताक्षर के बाद किसी का नाम न जोड़ा जाए ।

N.B. The Govt. servant should draw line across the blank space below his/her last entry to prevent insertion of any names after he has signed.

* यह कॉलम इस प्रकार भरा जाए कि बीमा योजना की सारी रकम शामिल हो जाए ।

* This column should be filled in so as to cover the whole amount that payable under the Insurance scheme.